<u>न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–195/2023</u>

विरेन्द्र पाण्डेय.....वादी

बनाम

विजय पाण्डेय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.08.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 01.04.2024 पर सुना। दिनांक 01.04.2024 को धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का आवेदन दाखिल किया गया है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 01.04.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 दिनांक 30.10.2023 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुये। कुछ आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब हो गया। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 ने जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नहीं किया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बयान तहरीरी दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा की जाय। इसके लिए प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 श्रीमान् का सदैव आभारी रहेगें। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किये है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 दिनांक 30.10.2023 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 01.04.2024 को प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से अपना संयुक्त बयान तहरीरी दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की	

न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–195/2023

विरेन्द्र पाण्डेय.....वादी

बनाम

विजय पाण्डेय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 02.08.2024	बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 नियत समय के बाद दिनांक 01.04.2024 को न्यायालय में अपना संयुक्त बयान तहरीरी दाखिल किया है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में सं0–01 एवं 02 का आवेदन दिनांक 01.04.2024 मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से दाखिल संयुक्त बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 29.08.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	